259 25 पदोन्नति के समय धारणागत वेतनवृद्धि के उद्देश्य के लिए निष्क्रिय वेतनवृद्धि पर विचार करने का प्रकरण।

अधोहस्ताक्षरित को उपरोक्त में वर्णित विषय पर बीएचईएल के पत्र संख्या एए/एचआर/आईआर/520, दिनांकः 14.06.2012 को संलग्न करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

2. पदोन्नति पर, कार्यकारी को अपने मूल वेतन और निष्क्रिय वेतनवृद्धि पर एक विचारणीय वेतनवृद्धि का लाभ पाने का अधिकार होगा; यदि वह ऐसा पाने का अधिकारी होगा और वेतन उच्चीकृत श्रेणी में स्थिर (अगले रू. 10 तक के अंकों तक) किया जाएगा। फिर भी, पदोन्नति पर इस तरह से स्थिर किया गया वेतन उस श्रेणी के उच्चतम वेतनमान से अधिक नहीं होना चाहिए जिस पर कार्यकारी को उच्चीकृत किया गया है। यदि इस तरह से बढ़ाया गया उसका वेतन उच्चीकृत श्रेणी के निम्नतम स्तर से कम पाया जाता है तो वह उस उच्चीकृत श्रेणी के निम्नतम वेतनमान को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त, डीपीई ने सीपीएसई कार्यकारियों के विभिन्न वेतन सम्बन्धित मामलों पर हाल ही में एक विस्तृत ओ.एम. निर्गत किया है। ओ.एम., दिनांकः 14.12.2012 की एक प्रतिलिपि डीपीई के वेवसाइट पर उपलब्ध है।

3. बीएचईएल के सम्बन्ध में डीएचआई; प्रशासनिक मंत्रालय होते हुए, बीएचईएल को उपयुक्त रूप से स्पष्ट कर सकता है।

(डीपीई का. ज्ञा. **2(36)/2012/डीपीई(डब्ल्यूसी), दिनांक 26 दिसम्बर, 2012)**

*****